

HEAD OFFICE

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
Gaura Devi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahasrathadhara Road
DEHRADUN



उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड़,
देहरादून

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 29 वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 को मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. श्री आर.के. सुधांशु, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. प्रो0 ए. ए. काजमी, निदेशक, आई.आई.टी., रुड़की के प्रतिनिधि।
4. डा0 विजय श्रीधर, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, कुलपति, दून विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि।
5. श्री एन. के. जोशी, अपर सचिव, सचिव, परिवहन विभाग, के प्रतिनिधि।
6. श्री एम0एस0 चौहान, संयुक्त सचिव, सचिव स्वास्थ्य के प्रतिनिधि।
7. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि।
8. श्री जगदीश लाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून के प्रतिनिधि।
9. श्री एफ. खान, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर के प्रतिनिधि।
10. श्री सुधीर गर्ग, उप-परिवहन आयुक्त, सचिव परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि।
11. श्री सुशील भट्ट, एम0डी0, सिडकुल, देहरादून के प्रतिनिधि।
12. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ, एस0पी0एम0जी0, देहरादून एम0डी0, पेयजल निगम के प्रतिनिधि।

बैठक में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित सदस्य

13. श्री विकास जिंदल, अध्यक्ष, के0जी0सी0सी0आई0, काशीपुर।

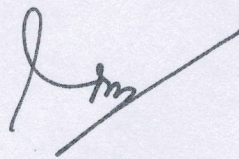
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी मान्य सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्य सूची सं0 29.1	बोर्ड की 28वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 28 वीं बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में किसी भी सदस्य के द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति व्यक्त
---------------------	--	--

		नहीं की गयी। अतः बैठक में सर्वसम्मति से 28वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन दिया गया।
कार्य सूची सं0 29.2	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2022-23 की वार्षिक बजट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 29वीं बैठक में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2022-2023 की वार्षिक बजट पर चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त प्रस्तावित बजट पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई तथा निर्देश दिया गया कि प्रस्तावित बजट का निम्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय:- 1. Capital Expenditure में Motor Vehicle Purchase, Continuous Air Quality Monitoring Station with AMC आदि में प्रस्तावित Capital Expenditure का पुनः परीक्षण किया जाय। 2. प्रोफेसर ए. ए. काजमी, आई.आई.टी., रुड़की द्वारा उठाये गये बिन्दु “ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ई-अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाय” के क्रम में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रारम्भ में इस मद में प्रस्तावित धनराशि का उपयोग किया जाय। अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर नियमानुसार धनराशि की व्यवस्था की जाये।
कार्य सूची सं0 29.3	गैर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में।	गैर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों के 03 प्रकरणों क्रमशः i. Aata Chaki, Chilly and Masala powder, grinding of spices (operating up to 100 HP Motors) for domestic uses involving dry process and without facility of packaging and marketing of product,

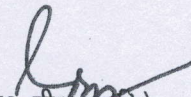
		ii. Sports footwear, iii. Testing/analysis laboratory (waste water generation>10KLD) के वर्गीकरण के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
कार्य सूची सं0 29.4	इन्डक्शन फर्नेश उद्योगों में साईड ड्राफ्ट हुड स्थापित किये जाने की समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	इन्डक्शन फर्नेश उद्योगों में साईड ड्राफ्ट हुड स्थापित किये जाने की समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के उपरांत उद्योगों को साईड ड्राफ्ट हुड स्थापित किये जाने हेतु बढ़ाये गये समय-सीमा दिनांक 31.12.2022 का कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। कुमाऊ गढ़वाल चैम्बर आफ, कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उत्तराखण्ड के अनुरोध के क्रम में समय-सीमा को दिनांक 31.12.2022 से अग्रेतर बढ़ाये जाने पर असहमति व्यक्त की गयी।
कार्य सूची सं0 29.5	नदी जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों में अतिरिक्त जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों के संचालन के सम्बन्ध में तथा केन्द्रीय प्रयोगशाला के एन0ए0बी0एल0 मान्यता प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति निम्न निर्देश के साथ प्रदान की गयी:- बोर्ड द्वारा स्थापित समस्त जल गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों एवं वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों के अनुश्रवण हेतु Geo-tagging की व्यवस्था की जाय।
कार्य सूची सं0 29.6	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में विभिन्न तकनीकी कार्यों, पालिसी निर्धारण एवं तकनीकी सहयोग हेतु नालेज नेटवर्क इस्टीमेट को सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यों को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न करने हेतु 03 Sub Group का गठन किया जाय जिसकी अध्यक्षता क्रमशः सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रो0 ए. ए. काजमी, आई.आई.टी., रुड़की एवं डा0 विजय श्रीधर, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, दून विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा किया जायेगा। Sub Group का गठन, उसके द्वारा किये जाने वाले

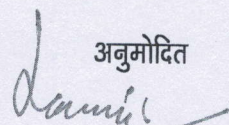
		कार्य आदि का रूपरेखा का अनुमोदन करने हेतु अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया गया।
कार्य सूची सं0 29.7	सफेद श्रेणी के उद्योगों को स्थापनार्थ सहमति एवं निर्धारित शुल्क से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सफेद श्रेणी के उद्योगों को स्थापनार्थ सहमति एवं इस हेतु निर्धारित शुल्क से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में अपनाई गयी प्रक्रिया का परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
कार्य सूची सं0 29.8	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ताओं के रिटेनरशिप/प्रति मामलों में दिये जाने वाले शुल्कों में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के समय यह पाया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
कार्य सूची सं0 29.9	स्थापनार्थ सहमति हेतु प्राप्त आवेदनों पर निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि गुजरात, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अपनाई गयी प्रक्रिया का परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
कार्य सूची सं0 29.10	संचालनार्थ सहमति वैधता अवधि को पूरे वर्ष में फैलाव (Scatter) किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि गुजरात, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अपनाई गयी प्रक्रिया का परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।



कार्य सूची सं० 29.11	बोर्ड में नियमित कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार-विमर्श के उपरान्त बोर्ड के पर्यावरण अभियन्ता डा० अंकुर कंसल द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को अनुमोदित किया गया। इसके साथ-साथ सर्वसम्मति से उत्तराखण्ड शासन में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में जो व्यवस्था है, उसे उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी अंगीकृत किया गया।
----------------------------	--	--

अन्त में सभी मान्य सदस्यों के धन्यावाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।


(एस० पी० सुबुद्धि)
सदस्य सचिव

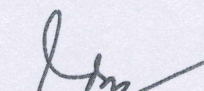

(अमर०के० सुधांशु)
अध्यक्ष

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा०-०६(२९वीं बोर्ड बैठक)/२०२२/५६९,

दिनांक ०५/७/२२,

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रो० ए. ए. काजमी, आई.आई.टी., रुड़की।
२. डा० विजय श्रीधर, एसिसटेन्ट प्रोफेसर, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
३. श्री एन. के. जोशी, अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
४. श्री एम०एस० चौहान, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
५. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।
६. श्री जगदीश लाल, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
७. श्री एफ. खान, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
८. श्री सुधीर गर्ग, उप-परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
९. श्री सुशील भट्ट, सिडकुल, देहरादून।
१०. श्री अक्षय कुमार, पर्यावरण विशेषज्ञ, एस०पी०एम०जी०, देहरादून,
११. श्री विकास जिंदल, अध्यक्ष, के०जी०सी०सी०आई०, काशीपुर।
१२. गार्ड फाईल।


सदस्य सचिव